

बाद सं० 39।

2012

अन्तर्गत धारा 143 उपरो

जोचि एवं भूव्यवधि अधि

मौजा-नींदी

परगना-मिजामाबाद, तहसील-

सदर जनाबद-आजमगढ़।

बादा विरचनाय महाविद्यालय, शिक्षा संचालक-नींदी
प्रबन्धक श्री सुशील कुमार सिंह
बनारा
उपरो सरकार

आदेश

बादी श्री सुशील कुमार सिंह पुत्र श्री लालन सिंह निवासी ग्राम-बेलइला तहसील-सदर, जनाबद-आजमगढ़, प्रबन्धक बादा विरचनाय महाविद्यालय, शिक्षा संचालक-नींदी के ग्राम-नींदी परगना-मिजामाबाद, तहसील-सदर में स्थित खेत सं० 00132 के गाँव सं० 87/049280 में से 034080 के मकसदीय भूमिगत है। जो अकृषिक/आवासीय धोषण किच आम हेतु प्रवेस पत्र प्रस्तुत किया।

बादा-पत्र की जांच हेतु तहसीलदार, सदर, जनाबद-आजमगढ़ को भेजा गया। तहसीलदार, सदर द्वारा क्षेत्रीय लक्षपाल एक राजस्व निरीक्षक से स्थानीय विद्यालय एवं अभिलेखाय परीक्षण कराकर उनकी जांचका दिनांक 02.01.2013 पर अपना सम्पत्ति आव्या दिनांक 03.01.2013 प्रस्तुत की है। जांच में उल्लेख किया गया है कि प्रस्तावित खेत सं० 00132 के गाँव सं० 87/049280 में से 034080 जगत 12.95 मर प्रादी श्री सुशील कुमार सिंह पुत्र श्री लालन सिंह निवासी ग्राम-बेलइला, तहसील-सदर, जनाबद-आजमगढ़ प्रबन्धक, बादा विरचनाय महाविद्यालय शिक्षा संचालक-नींदी के ग्राम-नींदी, परगना-मिजामाबाद तहसील-सदर में स्थित खेत सं० 00132 के गाँव सं० 87/049280 में से 034080 के मकसदीय भूमिगत है जो प्रस्तावित भूमिगत खेतों में एक है। खेत पर कब्जा के दावापत्र है। प्रस्तावित गाँव सं० 87 में 300 एकड़ भूमिगत भूखण्ड अलग लक्षपाल के सुबहुट पालन आदि का कार्य नहीं हो रहा है। प्रस्तावित गाँव संख्या पट्टी की नहीं है। सरकारी भूमि नहीं है। राजस्वमिथ प्रमाण में नहीं है। जमीन-सामान्य आकार के विद्यमान है। जमीन में 12.95 एकड़ एवं बादाकीय स्थल की है। प्रस्तावित गाँव संख्या किच की प्रस्तावित खेतों में 034080 में से 034080 गाँव संख्या वर्तमान में 1418 बंशाने बंशाने में 300 एकड़ की नहीं है तथा वर्ष 1418 जमीन से कृषि कार्य नहीं हो रहा है। प्रस्तावित गाँव संख्या में खेतदार सुशील कुमार सिंह के सदस्य नहीं है। प्रस्तावित गाँव की संकर बाँडे की बात किसी भी दस्तावेज में उल्लेख नहीं है। प्रस्तावित गाँव संख्या के स्थल पर आबादी का प्रमाण हो रहा है। कोई कृषि कार्य नहीं हो रहा है। आसपास विद्यमान कालोविद्या स्थापित है। प्रस्तावित गाँव को भूमि एकरी पर आबादी का प्रमाण हो रहा है। प्रस्तावित गाँव की संख्या कोई प्राथकीय नुमि नहीं है। आत मौजा नींदी तहसील-सदर, जनाबद-आजमगढ़ की गाँव सं० 00132 के गाँव सं० 87/049280 में से 034080 प्रादी श्री सुशील कुमार सिंह पुत्र श्री लालन सिंह निवासी ग्राम-बेलइला तहसील-सदर, जनाबद-आजमगढ़ प्रबन्धक, बादा विरचनाय महाविद्यालय शिक्षा संचालक-नींदी के ग्राम-नींदी, परगना-मिजामाबाद तहसील-सदर जनाबद-आजमगढ़ का भूमि की उपरो उपरो एवं भूव्यवधि अधि सं० 143 के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित किया जाने हेतु हेतु की है।

तहसील की उक्त आख्या के परिप्रेक्ष्य में परावली पर उपरोक्त निम्न 136 (1) में सुगना क्षेत्रीय अधिपाल एवं तहसीलदार सदर द्वारा प्रस्तावित के मकसदीय किया गया है। प्रस्तावित खेतों में सं० 1418 जगतों से 1423 जगतों में प्रादी श्री सुशील कुमार सिंह पुत्र श्री लालन सिंह निवासी ग्राम-बेलइला, तहसील-सदर, जनाबद-आजमगढ़ प्रबन्धक, बादा विरचनाय महाविद्यालय शिक्षा संचालक-नींदी के ग्राम-नींदी परगना-मिजामाबाद तहसील-सदर, जनाबद-आजमगढ़ के नाम मकसदीय भूमिगत की लप के अंकित है व नकल खेतों सं० 1419 जगतों तथा प्रादी का संप्रथ-पत्र व फोटोआफे लालन कर भेजा है। यदि तहसील आख्यानुसार प्रस्तावित भूमि वर्तमान में कृषि मन्त्र्य बालन सुबहुट पालन बगवानी इत्यादि के उपयोग में नहीं आ रही है व तहसील आख्या के साथ सततनक संप्रथ-पत्र एवं स्थलीय फोटोग्राफ से संतुष्ट होते हुए उक्त प्रस्तावित भूमि की खेत सं० 00132 के गाँव सं० 87/049280 में से 034080 मौलिकत मुल्य 12.95 धारा 143 उपरो उपरो एवं भूव्यवधि अधि के अधिनियम 136 (3) के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित की जाया है। तहसील आख्या के साथ सततनक खेत आदेश का अंमल रहेंगे। तदनुसार प्रस्तावित जारी हो। परावली बादा आदेशक-समवेतही तहसील सदर को जाये।

